

ही वाद पत्र को अन्तिम डिब्बी किया जावे।

हमने कदम कबील वादी को खुनी तथा कदम के तर्घो पर गौर किया। प्रावधानों की पालना में पेश हुए विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान / खातेदारान के हस्ताक्षर हैं। इनकी मौजूदगी में तैयार किया जाता है। अतः कबील वादी के तर्घो से सहमत है। वादी का वादी का वाद पत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिब्बी किया जाने योग्य माना जाने पर अन्तिम डिब्बी किया जाता है कि:-

आदेश

कृषि भूमि ख० न० 188, 189, 250/162

252/167, 255/185 कित्त-5 रकबा 3.21

है० तन ग्राम पुजारी का कस प० म० जयराजपुर

तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान का

तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव

क्रमांक/अ० अ०/२०११/३३६८ / दिनांक २-१२-१९

के मुताबिक ही वाद पत्र को अन्तिम डिब्बी

किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम

डिब्बी का भाग रहेगा। रहन पक्षकारान

के आने वाले दिनांक पर दर्ज किया जावे। सम्बन्धित

बैंक को रहन पक्षकार के हिससे में आधी भूमि

पर दर्ज करने हेतु तद्वरीर जारी हो। पत्रावली

प्रमाण शुभार होकर नम्बर कम हो। डिब्बी मुताबिक

होकर बाक तहसील का स्थिति दर्ज हो।



(Signature)
जज (सीकर)

डिकी मुकदमा इक्टदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जावा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला
बड़जलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)

हरिकृष्ण पुत्र सुन्दाराम जाति जाट निवासी पुजारी कावास
तक्षीम खण्डेला जिला सीकर राज
बनाग (वादी)

० रि. छपाल ० पतासीदेवी पुत्र/पत्नी सुन्दाराम
० सुरजा पुत्र सुन्दाराम जाति जाट निवासी पुजारी कावास
दावा बाबत बंकारा व स्वार्थ निषेधज्ञा
मुकदमा नं० 173 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुवरु श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री राजेश बेकड एडवोकेट मिनजानिव मुद्दई रुवरु विजय शर्मा ए. मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि कृषि भूमि खं नं० 188, 189, 250/162, 252/167, 255/185 कित्ता-5 रकबा 3.91 ई० तन ग्राम पुजारी कावास पं० जयशामपुरा तक्षीम खण्डेला जिला सीकर राजस्थान का तक्षीम खण्डेला से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/प्र.अ./2019/3368/क्रि.कं.२-१५-१३ के मुताबिक ही वाद पक्ष को अन्तिम डिकी कित्ता जाता है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिकी व निर्णय का भाग रहेगा। रदन पुरामा 10 के जाने वाले काले हिस्सा पर दर्ज कित्ता जावे। सम्बन्धित कं० रदन

निज.....मुबलिंग.....वाबत.....खर्चा
इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 12 सन 2019 को जारी की गई।



दस्तखत
12.12.19
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
मीजान			मीजान		


⊕ तद्वर्गीय खण्डेला प्रिमा सीकर राज.

4. तद्वर्गीय खण्डेला जस्टि अधीन राजस्थान सरकार

5. पंजाब नैशनल बैंक शाखा श्रीगांधीपुर

6. एन. बी. आई बैंक शाखा श्रीगांधीपुर

7. आई. बी. आई. सी. आई बैंक शाखा श्रीगांधीपुर



(प्रतिवादीगण)

⊗ पक्षकार के हितों में आपसी भूमि पर दर्ज कर तद्वर्गीय जारी है।

(Signature)
(राजनीत सिंह)
वपखण्ड अधीक्षक
खण्डेला (सीकर)